

SEEDS CORPORATION

437. SHRI SULTAN SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE/ कृषि मंत्री be pleased to state :

(a) the total number of processing plants so far set up by the Seeds Corporation in Haryana;

(b) how much seeds have been processed by the plants after recent harvesting;

(c) the total capacity of each plant and whether the plants are working as per scheduled capacity;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) what steps are being taken by Government so that these plants work to their capacity,

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE/ कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI ANNASAHB P. SHINDE) : (a) The National Seeds Corporation has two processing plants in Haryana.

(b) The total quantity of seeds processed by the plants up to the end of May, 1971 is 8,500 quintals.

(c) Total capacity of each of these plants is 7,000 quintals per year on one shift of 8 hours per day. At present the plants are working as per scheduled capacity.

(d) and (e) Do not arise.

कस्तूरबा निकेतन को भूमि का आवंटन

914. श्री सुरज प्रसाद : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर, नई दिल्ली को कितनी जमीन अलाट की गई थी और इस समय कितनी जमीन उनके गैर-कानूनी कब्जे में है ;

(ख) क्या यह सच है कि निकेतन ने अब तक सरकार को सारी देय राशि अदा नहीं की है; और क्या यह भी सच है कि निकेतन ने गैर-कानूनी ढंग से कब्जा की गई भूमि को खाली नहीं किया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

[ALLOTMENT OF LAND TO KASTURBA NIKETAN

914. SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION/ श्रम और पुनर्वास मंत्री be pleased to state :

(a) the area of land allotted to Kasturba Niketan, Lajpat Nagar, New Delhi and the area of land under their unauthorised occupation at present.

(b) whether it is a fact that the Niketan have not yet paid all the dues to Government; and whether it is also a fact that the Niketan have not vacated the land occupied by them in an unauthorised way and

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, what action has been taken by Government in this connection ?]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री

(श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग)

कस्तूरबा निकेतन विभाजन के पश्चात् पश्चिमी पाकिस्तान से आए लम्बी अवधि वाले स्थायी दायित्व श्रेणी के विस्थापित व्यक्तियों को रखने के लिए पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शुरु की गई संस्थाओं में से एक है। जिस भूमि तथा भवन में यह संस्था चल रही है वह सरकारी है। 1958 में शुरु किए गए पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से सम्बन्धित कार्यक्रमों के समापन की कार्यवाही के एक अंश के रूप में इस संस्था को समाज कल्याण निदेशालय को हस्तान्तरित कर दिया गया जो उस समय शिक्षा मंत्रालय के अधीन था। अब यह संस्था शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिल्ली प्रशासन को हस्तान्तरित कर दी गई है।

गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करने तथा देयताओं के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

[] English translation.

‡[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION/ श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (SHRI BALGOVIND VERMA (a) to (c) Kasturba Niketan was one of the Government institutions started by the Ministry of Rehabilitation in the post-partition period for accommodating displaced persons from West Pakistan belonging to the Long Term Liability Category. The land and building in which the institution is located also belonged to Government. As a part of the process of winding up of activities relating to rehabilitation of displaced persons from West Pakistan, which was initiated in 1958, the institution was transferred to the Directorate of Social Welfare, which was then under the Ministry of Education. This institution has since been transferred by the Ministry of Education to the Delhi Administration.]

The question of unauthorised occupation or payment of dues does not arise.]

राना बाड़ी बिल्डर्स को भूमि का आवंटन

915. श्री सूरज प्रसाद : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि

(क) मैसर्स राना बाड़ी बिल्डर्स गुलाबी बाग, दिल्ली को सेटलमेंट कमिश्नर के कार्यालय द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गई, यह भूमि किस-किस तारीख को आवंटित की गई और इन आवंटनों के लिये कितना रुपया लिया गया और इस समय उनके वास्तविक कब्जे में कितनी भूमि है,

(ख) क्या यह सच है कि उक्त फर्म ने नीलामी से पहले ही उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था और आवंटन के समय भूमि का मुआवजा भी नहीं लिया गया था और

(ग) यदि हाँ तो सरकार उक्त फर्म द्वारा गैर-कानूनी ढंग से कब्जा की गई भूमि को खाली कराने और उनसे भूमि के मुआवजे की वक़ाय़ा राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

‡[ALLOTMENT OF LAND TO RANA BODY BUILDERS

915 SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION/ श्रम और पुनर्वास मंत्री be pleased to state

(a) the area of land allotted to M s Rana Body Builders, Gulabi Bagh, Delhi by the office of the Settlement Commissioner, the dates on which the allotments were made, the money charged for such allotments and the area of land under their actual occupation

(b) whether it is a fact that the said firm had occupied the above land even before the auction took place and the compensation for land was also not charged at the time of allotment, and

(c) if so what steps are being taken by Government to see that the unauthorised occupation of land is vacated by the said firm and the dues in respect of compensation for land are paid by them ?]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री

(श्री बालगोविन्द वर्मा) (क) यह भूमि आवंटित नहीं की गई थी वल्कि 8-12-57 को 1,50,000 रुपये में मैसर्स राना बाड़ी बिल्डर्स का मार्बेजिनिक नीलाम में बेची गई थी। इस स्थल के नक्शों के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 2152.5 वर्ग गज है।

(ख) तथा (ग) नीलाम होने से पूर्व यह भूमि इस फर्म के कब्जे में थी और फर्म का इसके इम्नेमाल करने के लिए इस पर कब्जा करने की तारीख से लेकर बोली मजूर किए जाने की तारीख तक की अवधि का मुआवजा देना होगा। उस तारीख का पता लगाया जा रहा है जबसे यह भूमि उनके कब्जे में है। उसके बाद मुआवजे का हिमाब लगाया जाएगा और आवश्यक वसूली की जाएगी।

‡[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (SHRI BALGOVIND VERMA) (a) The land was not